न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुंझुनू (राज0)

क्रमांकः–राजस्व / 2024 / दिनांकः–

मु. नं. 384/2025
UCMS- 2025/779

निमितः–

तहसीलदार नवलगढ

विषयः– अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम।

आदेश

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं 4(10) राज–6 / 2024 / 8 जयपुर दिनांक 04.04.2025 व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं के पत्रांक प.40(1)()राजस्व / 2025 / 942–48 दिनांक 24.04.2025 की पालना में तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता हैं कि आप द्वारा रास्ता खोलो अभियान 2025 के अनुसरण में भिजवाई गई रिपोर्ट / रास्ता प्रस्ताव के अनुसार रास्ता का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है, अतः आप द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित रास्ता का नामान्तरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकन करें तथा राजस्व नक्शें में तरमीम करें एवं नक्शा, जमाबन्दी में रास्ते का नम्बर पृथक से अंकित किया जावे तथा रास्ता रकबे सहित किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की जावे। तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक राजस्व / 2025 / 424 दिनांक 03.11.2025 से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	पटवार मण्डल	तहसीलदार नवलगढ द्वारा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण सूची मय खसरा नम्बर एवं नक्शा ट्रेस सहित
1	बारवा	मोहनवाडी	खसरा नं0 क्रमशः 508 / 8, 503 / 8, 10, 11, 463 / 4, 466 / 11, 467 / 11, 462 / 4, 465 / 11, 461 / 4, 464 / 11, 459 / 4, तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते की सूची व नक्शा ट्रेस के मुताबिक

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

ucms - 2025/779

फर्द अहकाम
(नियम– 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नवलगढ**

मुकदमा **प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132** भू.रा.अधि.बाबत रास्ता **मु. नं.** 384 **सन् 2025**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	रास्ता खोलो अभियान 2025 के अनुसरण में तहसीलदार, नवलगढ के पत्रांकः–राजस्व/2025/424 दिनांक 03.11.2025 के द्वारा ग्राम बारवा पटवार मण्डल मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 508/8, 503/8, 10, 11, 463/4, 466/11, 467/11, 462/4, 465/11, 461/4, 464/11, 459/4, में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में अंकन करवाने बाबत प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद फर्द मौका पटवारी हल्का दिनांक 30.10.2025 तथा तहसीलदार नवलगढ की मौका निरिक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.107.2025 के अवलोकन से जाहीर है कि प्रस्तावित रास्ता 40–50 वर्षो से प्रचलन में है तथा राजस्व ग्राम चैनगढ के आवागमन का सबसे पुराना एवं प्रचलित रास्ता है जो कि गोल्याणा– नवलगढ सड़क मार्ग से राजस्व ग्राम चैनगढ की सीमा तक जाता है। प्रस्तावित रास्ता वर्तमान में मौका पर चालु है तथा प्रस्तावित रास्ता के बाबत् मौका पर कोई विवाद नहीं है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक राजस्व/2025/424 दिनांक 03.11.2025 के द्वारा अनुशंषा सहित भिजवाए गये प्रस्ताव में **ग्राम बारवा पटवार मण्डल मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 508/8, 503/8, 10, 11, 463/4, 466/11, 467/11, 462/4, 465/11, 461/4, 464/11, 459/4,** में से प्रस्तावित रास्ता को को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता में समायोजित होने वाली भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव के संलग्न नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे तथा रास्ता के प्रथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज की जावे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। तहसीलदार, नवलगढ द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का हिस्सा रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (कुलदीप सिंह शेखावत) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	